



DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together
And Achive Dream
Together

Dr Surendra Dhiwa

Educator

(Law | Public administration and management)

(Polity and IR | Audit and Accounting)



धारा 242 ⇒ शांति, वृक्षों का हत्या जाना और
उनकी कांटे छोट →



धारा 243 ⇒ खतरनाक भवन →



नगरपालिका

रकबे भी परम्पत

कुरा सकती है

रकबा हानी (खतरनाक)

नोटिस भी दे

सकती है



नामील के 2/3 दिन के भीतर

खाइ लगाना सकेगी

स्वंप (4) नोटिस

↓
नामील होने के
2 दिन के भीतर
स्वाधी उतरा नहीं

लगवाने पर

↓
स्वंप नगरपालिका

उतरा

गिरा लेकी / मरफ्त

↓
स्वंप नोटिस दे. A

↓
नोटिस नामील होने
से 3 दिन के भीतर =
भीतर भौर

आपतकाल में तुलना

मरफ्त नहीं कृषागा

प्रांभ कक्षा है तो

नगरपालिका स्वंप करेगी

धारा 244 ⇒ पटरियों (pavements) आदि को हटाना →

नगरपालिका की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति अगर इन चीजों को हटाता है / नुकसान पहुंचाता है / उखाड़ता है / कोर परिवर्तन करता है ⇒ जुर्माना = 2000-5000/-

+ वास्तविक क्षति

+ प्रशासनिक प्रचारों का 10% की दर से

धारा 245 => सार्वजनिक भूमि पर प्रतिभ्रमण / बाधा ->

(अपवाद) => सार्वजनिक मार्ग पर स्थित नाली के उपर सीटियाँ नीचे लैपनि

इस दोनो के अलावा किसी भूमि पर कोई **प्रतिभ्रमण** करता है तो -> कारवाय - 3 माह - 3 वर्ष **(+)**
 जुर्माना = 30,000 - 50,000/-

या
अव्ययी बाधा
 ↓
 1 माह कारवाय **(या)**
 5000/- **(या)** दोनो

(iii) → नगरपालिका ऐसी बाधा या अतिक्रमण को हटाने की शक्ति रहेगी तथा हटाने में लगा व्यय अतिक्रमण से वसूल किया जाएगा।

(iv) अप्रचिष्ट रूप से नगरपालिका भूमि से मिट्टी/रेत/अन्य सामग्री उठाने पर सूजा → खादा कारवाल 2 मीटर - 6 मीटर
या

जुमाना - 30,000 - 50,000/-

या

दैनिक

- (v) नगर पालिका अधिकारी को प्रतिभ्रमण की गई सूची पर स्थित वस्तुओं/यान आदि को अभिगृहित/कुर्ब करने की शक्ति होती है।
- (vi) अभिगृहित/कुर्ब की सूचना तुरन्त नगरपालिका को देगा।
- (vii) नगरपालिका कुर्ब चीजों की अभिरक्षा हेतु अपेक्षा देगी तथा सार्वजनिक वस्तुओं का रूप विवरण ले व्ययत लय करेगी।

व्ययन → विक्रय ⇒ विक्रय के प्राप्त राशि से अपने
व्यय पूरे करने के पर्याप्त शेष
होगा। अधिमोती को दे दिया जाएगा।

→ रूपति हुई। अधिमोती से जानी है तो नगरपालिका को
अधिमोती (Confiscation) का आदेश दे सकेंगी।

↓
खतक नहीं देगी जब तक लिखित नोटिस
नहीं दिया जाएगा।

लिखित नोटिस → अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समय



अभ्यावेदन पर
सुनवाई



आदेश
(Confiscation)



अपील
(1 माह के भीतर)

(District

Judge) →

[stay/nullify/modify]

इस धारा के अधीन किपीपी अचराध का
अन्वेषण ⇒ DySP से नीचे रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं

किया जाएगा



CE के FIR फॉर्मल के उभार से भीतर अन्वेषण
पूरा होगा ⇒ - न्यायालय में रिपोर्ट फाइल

करेगा।

धारा 241

खतरनाक खुदार् -



कोई खान / जमीन से कपड़ / मिट्टी / म-प
जुदाई निकाले जा रहे हैं



वहाँ पहुँच रखने वाले लोगो है
खतरनाक है



लिखित नोटिस



धारा 247 ⇒ परिसरो का अनुसन्ध के बिना परशु
रखने | मुर्गी पालन के लिए उपयोग में
नहीं लिया जाना →

↓
ढोर (cattle) / धेज / सुप्र / इन्ना / मुर्गी

धारा 248

कृत्रिम पशुधरो | पक्षियो' का अभिग्रहण -
↓

धारा 249 =>

संक्रमित कुत्तों | पशुधरो पर कार्यवाही
करने की शक्ति →

रेबीज

धारा 250

फारखाने के भीतर पशुधरो के -इलेक्ट्रॉन रोस्ते
की शक्ति

THANK YOU

For Join Our Session



 +91-9636280355

www.drgenius.academy.com

